District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 48 of 2020

(Chandradeep P.S. Case No.- 39/2020)

Date of Judgement : 10-03-2026

State of Bihar through informent Vandana Kumari Vs. Sonu Kumar

बिहार राज्य द्वारा सूचक वंदना कुमारी

बनाम

1. **सोनु कुमार** उम्र 25 वर्ष, पिता–अमित महतो,

निवासी ग्राम–कैयारी, थाना–चन्द्रदीप, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 354(B), 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s), 3(i)(w)(i)(ii) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री मैनेजर पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–10.03.2026

निर्णय

1. कांड सूचिका वंदना कुमारी पति–रंजीत कुमार शर्मा के द्वारा थानाध्यक्ष, चन्द्रदीप थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर चन्द्रदीप थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–39/2020 के रूप में भा0द0वि 341, 323, 379, 506, 354, 354बी एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–61/2020, भा0द0वि 341, 323, 354, 354बी, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s), 3(i)(w)(i)(ii) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप इस मामले में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड की सूचिका वंदना कुमारी पति–रंजीत कुमार शर्मा के द्वारा थानाध्यक्ष, थाना चन्द्रदीप को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–11.03.2020 को समय 16:10 बजे वह अपने घर से बाजार अपनी मॉ के पास मेन रोड अलीगंज जा रही थी। इसी बीच कांदु टोला के पास सोनू कुमार ने रास्ते पर खड़े हो गया और बोला कि साली हरिजन, पाजी आज अकेली पकड़ा गई हो। उसके साथ गाली गलौज करने लगा और उसे बाहों में कसकर, बुरी नियत से छेड़खानी करने लगा। उसका सूट फाड़ दिया और छाती, गला एवं गाल नोच लिया जिससे उसके गला एवं छाती में खरोच लग गया तथा छाती में सूजन आ गया। वह गले में सोने का चैन पहनी हुई थी उसे नोच लिया।

वह जोर जोर से चिल्लाने लगी तब सोनू कुमार ने जान मारने की धमकी देते हुए चला गया।

3. अभियुक्त सोनू कुमार के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.10.2020 को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 354बी, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s), 3(i)(w)(i)(ii) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उसने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए एकमात्र साक्षी वंदना कुमारी का साक्ष्य करवाया गया है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्त ने घ टना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 वंदना कुमारी** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना वर्ष 2020 समय करीब 4 बजे शाम की है। उस समय वह अपने घर से अलीगंज बाजार जा रही थी। उसके साथ कानू टोला के पास एक लड़का के साथ बक–झक हुआ। आस–पास के लोगों ने बताया कि उस लड़का का नाम सोनू कुमार है। इसी मामले को लेकर उसने थाना में केस किया। थाना में उसने एक लिखित आवेदन दिया था। यह वही लिखित आवेदन है जिस पर उसका हस्ताक्षर है जिसे वह पहचानती है, इसे प्रदर्श P-1/P.W.1 अंकित किया गया। **साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को नहीं पहचानती है।** प्रतिपरीक्षा में साक्षी का कथन है कि जिस लड़के ने उसके साथ घटनास्थल पर बक–झक किया था उसे वह पूर्व से नहीं पहचानती थी। न्यायालय में खड़ा लड़का बक–झक करने वाला लड़का नहीं है। आस पास के लोगों ने सोनू कुमार का नाम बताया उसी के आधार पर उसने सोनू कुमार के नाम से मुकदमा किया। आज नोटिस पर गवाही देने आयी है।

7. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 354बी, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s), 3(i)(w)(i)(ii) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

8. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से

State of Bihar through informent Vandana Kumari Vs. Sonu Kumar

स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1 वंदना कुमारी, जो इस मामले की सूचिका है, ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि जिस लड़के के साथ उसका घटनास्थल पर बक–झक हुआ था उसे वह पूर्व से नहीं पहचानती थी। **न्यायालय में खड़े लड़के ने उसके साथ बक–झक नहीं किया था।** आस पास के लोगों ने सोनू कुमार का नाम बताया उसी के आधार पर उसने सोनू कुमार के नाम से मुकदमा किया। इन साक्ष्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 354बी, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s), 3(i)(w)(i)(ii) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **सोनू कुमार** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 354बी, 379, 504 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r)(s), 3(i)(w)(i)(ii) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उसे एवं उसके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–10.03.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–10.03.2026